उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा मुख्यालय

चतुर्थ/पंचम तल ,इन्दिरा भवन ,अशोक मार्ग, लखनऊ –226001

पत्र संख्या– एफएस–1076/2014(129) **दिनांक: नवम्बर , 05 ,2014**

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता जोन–3
लखनऊ विकास प्राधिकरण
विपिन खण्ड गोमती नगर
लखनऊ,

विशय :– मेसर्स पार्थ इन्फा0 बिल्ड प्रा0 लि0 द्वारा खसरा संख्या182पी,183पी,184पी,ग्राम–अरदौना मऊ व खसरा संख्या 18पी,19,20,21,22पी,23,24पी,25पी,44पी,45पी, अहिमामऊ सुल्तानपुर रोड लखनऊ में प्रस्तावित होटल/सविर्स अपार्टमेंट भवन की प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में ।

कृपया उपरोक्त विशयक पत्र संख्या–एन.आर–203/एए.जोन–3,दिनॉक 27.05.2014 के माध्यम से उक्त प्रश्नगत प्रस्तावित भवन की प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

उक्त प्रश्नगत प्रस्तावित भवन के मानचित्रों में प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्थाओं एवं अभिलेखों का परीक्षण अग्निशमन अधिकारी एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ,/ मुख्य अग्निशमन अधिकारी लखनऊ व उपनिदेशक लखनऊ,द्वारा किया गया । अग्निशमन अधिकारी एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ,/ मुख्य अग्निशमन अधिकारी लखनऊ व उपनिदेशक लखनऊ की आख्या दिनॉक 05.11.2014 के अनुसार –

भवन की संरचना :–

1–कुल नेट भूखण्ड एरिया 41676.63 वर्ग मीटर ।

2–प्रस्तावित भवन के भूतल/स्टिल्ट का कबर्ड एरिया 2586.015 वर्ग मीटर मानचित्र में अंकित है ।

3–प्रस्तावित भवन के प्रथम तल का कबर्ड एरिया 2414.727 वर्ग मीटर ,द्वितीय तल से 19वें तल तक प्रत्येक तल का कबर्ड एरिया अलग–अलग 2086.070–2086.070 वर्ग मीटर तथा 20वें तल का कबर्ड एरिया 1704.054 वर्ग मीटर मानचित्र में अंकित है ।

4 –प्रस्तावित भवन के लोवर बेसमेंट व अपर बेसमेंट का कबर्ड एरिया अलग–अलग 9513. 048–9513.048 वर्ग मीटर है ।

5–भवन की अधिकतम् उॅचाई 68.700 मीटर है ।

भवन का अधिभोग ऍव हैजार्ड श्रेणी –प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0 बी0 सी0 में आवासीय श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है ।

ढॉचागत व्यावस्था :–

1–पहुॅच मार्ग :–प्रश्नगत भवन के मानचित्र में 45 मीटर रोड की चौडाई अंकित है ।

2–प्रवेश व निकास द्वार की चौडाई :–भवन परिसर में प्रवेश व निकास हेतु 02 गेट प्रस्तावित है, जिनकी चौडाई 06–06 मीटर मानचित्र में अंकित है ।

3–सेटबैक :– प्रस्तावित भवन का सेटबैक निम्नवत है –

- अग्रभाग 16.00 मीटर ।
- पृश्ठभाग 16.00 मीटर ।
- पार्श्व भाग प्रथम 16.00 मीटर ।
- पार्श्व भाग द्वितीय 16.00 मीटर ।

उपरोक्तानुसार भवन के सेटबैक भवन विनियमावली के अनुसार है । सेटबैक सदैव अवरोध मुक्त रखे जायेगें सेटबैक में किसी प्रकार का स्थाई /अस्थाई निर्माण कार्य मान्य नही होगा ।

4–निकास मार्ग :–प्रस्तावित भवन में 1.50–1.50 मीटर चौडाई के कुल 05 स्टेयरकेश मानचित्र में प्राविधान किया गया है,जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानो से ट्रेवलिंग डिसटेंस अधिकतम् अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है ।

5–रिफ्यूज एरिया का विवरण –प्रस्तावित भवन में बालकनी प्राविधानित है ।

अग्नि सुरक्षा व्यवस्था :– एन0बी0 सी0 – 2005 के अनुसार निम्नलिखित अग्निशमन व्यावस्थाएं पूर्ण किये जाने अनिवार्य है ।

1–भूमिगत टैक :– भवन परिसर में 150 के.एल क्षमता के भूमिगत टैक प्रस्तावित है ।
2–पम्पः–प्रत्येक भूमिगत टैंक के पास 2850 एल0पी0एम0 क्षमता का दो अद्द विद्युत चालित पम्प ,एक अद्द डीजल चालित पम्प 2850 एल0 पी0 एम0 क्षमता, जॉकी पम्प 180 एल0पी0एम0 क्षमता का लगाया जाना मानचित्र में प्रस्तावित है ।

3 –होजरील :–प्रस्तावित भवन में होजरील ,लैडिंग वाल्ब,आई0एस0 –3844 मानको के अनुसार लगाया जाना मानचित्र में प्राविधानित है ।

4 –वेटराइजर :–प्रस्तावित भवन में वेटराइजर सिस्टम एन0बी0सी0 2005 के मानको के अनुरुप लगाया जाना मानचित्र में प्राविधानित है ।

5–प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन परिसर में यार्ड हाइड्रेट होज कैबिनेट एवं उसमें डिलेबरी होज तथा ब्रांच पाइप एवं फायर सर्विस इनलेट का प्राविधान आई0 एस0 13039:1991 के अनुसार किया जाना मानचित्र में प्राविधानित है ।

6–हस्त चालित इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम :–मैनुअल आपरेटेड इलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम का प्रविधान एन0बी0सी0 मानको के अनुसार लगाया जाना आवश्यक होगा ।

7–स्वाचालित डिटेक्सन एवं एलार्म सिस्टम :–प्रस्तावित भवन में स्वाचालित डिटेक्सन एवं एलार्म सिस्टम का प्राविधान किया जाना आवश्यक होगा ।

8–स्वाचालित स्प्रिंकलर सिस्टम :– भवन के बेसमेंट, सहित समस्त तलो में आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम एन0बी0सी0 मानको के अनुसार लगाया जाना आवश्यक होगा ,स्प्रिंकलर सिस्टम में पानी की फीडिंग टेरस व अन्डर ग्राउण्ड टैंक दोनो से किया जाना आवश्यक होगा ।

9–टैरिस टैक :–प्रश्नगत भवन के टैरिस पर अग्निशमन कार्य हेतु टैरिस टैक 25000–25000, लीटर पानी के क्षमता का स्थापित किया जाना मानचित्र में अंकित है ।

10–टेरिस पम्प –प्रश्नगत भवनो में आवश्यक नही है ।

11–प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूसर) :–प्रस्तावित भवन में फायर एक्सटिंग्यूसर आई0एस0 2190–2010 के अनुसार लगाया जाना आवश्यक होगा ।

12–स्मोक एक्सट्रेक्सन सिस्टम :–

ए0–फायर चेक डोर ,स्मोक चेक डोर की लोकेसन व रेटिगं 2 एच रखा जाना आवश्यक होगा ।

बी 0–सिस्टम की मैकअप एअर हेतु व्यवस्था किया जाना आवश्यक होगा ।

सी 0– स्मोक रिजरवायर अनुमानित स्मोक लेयर आदि को आधारित करते हुए एक्सट्रैक्सन सिस्टम का तकनीकी विश्लेशण किया जाना अवश्यक होगा ।

13 –प्रेशराईजेशन प्रणाली :– प्रस्तावित भवन में प्रेशराईजेशन सिस्टम लगाया जाना आवश्यक होगा जिसे ,डिटेक्सन सिस्टम से इंटरलाकिंग एन0बी0सी0 के मानको के अनुरुप किया जाना आवश्यक होगा ।

14 –एक्जिट साइनेज :–सम्पूर्ण भवन में एक्जिट साइनेज प्राविधानित किये जाने होगें ।

15–पी0ए0 सिस्टम :–पी0ए0 सिस्टम की व्यवस्था भवन में प्राविधानित किया जाना आवश्यक होगा

16–प्रश्नगत भवनो में **इमरजेंसी/एस्केप लाईटिंग** एन0बी0सी0–2005 ,पार्ट–04 में उल्लिखित मानको के अनुसार कराया जाना आवश्यक होगा ।

17–प्रस्तावित भवन में एन0बी0सी0–2005,पार्ट–04के प्रस्तर,सी–10 का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा ।

18–भवन निर्माण के पश्चात व उपयोग के पूर्व भवन में अधिश्ठापित अग्निशमन प्रणाली के कुशल संचालन व सदैव कार्यशील दशा में रखने हेतु एन0बी0सी0–2005 , पार्ट–04 के प्रस्तर–सी–05,सी–06,सी–07,सी–08 व सी–09 में उल्लिखित मानको का पालन अनिवार्य होगा ।

19– भवन में एन0बी0सी0 –2005 ,पार्ट–04 के प्रस्तर सी–1.15 के अनुसार एक वैकल्पिक उर्जा श्रोत (जनरेटर सेट) स्थापित कर उससे भवन की अग्निभामन प्रणाली, फायर लिफ्ट , स्टेयरकेशो व कोरीडोर की लाइटों ,स्टैड बाई फायर पम्प,प्रेशराईजेशन फैन्स, स्मोक एक्सट्रैक्शन तथा डैम्पर सिस्टम को पृथक लाइन (वायरिंग) फायर सेफ डक्ट से सुरक्षित करते हुए जोडा जाना आवश्यक होगा।

20–भवन की उँचाई 68.700 मीटर होने के कारण रेस्क्यू कार्य हेतु फ्लोर को खाली कराने के लिए कम समय लगे इसलिए आवश्यक व्यवस्था किया जाना आवश्यक होगा ।

21–68.70 मीटर उँचा भवन होने के कारण भवननिमार्ण इस प्रकार किया जाय कि विस्फोट होने पर न्यूनतम क्षति हो ।

22–अग्निशमन कार्य हेतु प्रत्येक तल पर निर्बाध जलापूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित किया जाय ।

उपरोक्तानुसार मेसर्स पार्थ इन्फ्रा0 बिल्ड प्रा0लि0,द्वाराखसरासंख्या–182पी,183पी,184पी,ग्राम–अरदौनामऊवखसरासंख्या,18पी,19,20,21,22पी,23,24पी,25प ,44पी,45पी, ग्राम–अहिमामऊ सुल्तानपुर रोड लखनऊ में प्रस्तावित होटल/सविर्स अपार्टमेंट भवन के निमार्ण हेतु प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस भार्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा प्रस्तावित भवन /इकाइयो में अग्नि से सुरक्षा संबंधी सभी प्रस्तावित प्राविधान व इस पत्र में अंकित भार्तो व भवन विनियामावली तथा नेशनल बिल्डिग कोड आफ इंडिया –2005 में उल्लिखित मानको के अनुसार कराये जायेगें तथा भवन के निर्माणोपरान्त ,भवन का प्रयोग करने से पहले प्राविधानित एवं भार्तो के अनुसार भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानक के अनुसार भैतिक रुप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा ।

अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा ।

संलग्नक :01,सेट मानचित्र

(अरविन्द कुमार)
संयुक्त निदेशक
उ0 प्र0 फायर सर्विस मुख्यालय,

प्रतिलिपि –

1– मुख्य अग्निशमन अधिकारी,/ उप निदेशक लखनऊ, को उनके पत्र संख्या :प–2058 /एफ. एस–लखनऊ–14दिनॉक.05.11.2014 के संदर्भ में अनुमोदित मानचित्र के साथ सूचनार्थ प्रेशित ।

2 –अग्निशमन अधिकारी पी0जी0आई0, लखनऊ, को सूचनार्थ प्रेशित ।

3– मेसर्स पार्थ इन्फ्रा0 बिल्ड प्रा0लि0 03के, गोपाला टावर,25 राजेन्द्र पैलेश,नई दिल्ली,,भवन निर्माणकर्ता को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेशित ।